SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राजनांदगांव जिलें में महिलाओं के रोजगार पर मनरेगा योजना की भूमिका का अध्ययन

मंजु, शोधार्थी, **के. पद्मावती,** Ph.D., अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
मंजु, शोधार्थी
के. पद्मावती, Ph.D

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 18/02/2024
Revised on : -----
Accepted on : 19/04/2024
Overall Similarity : 00% on 11/04/2024

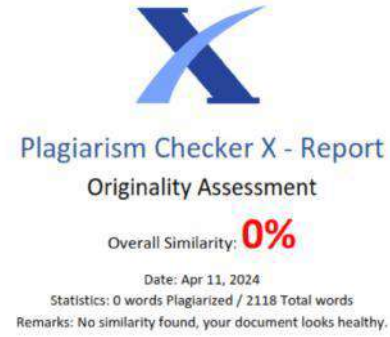

शोध सार

वर्तमान राजनांदगांव जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में राजनांदगांव जिला प्रदेश मे प्रथम स्थान पर हैं। जिला पंचायत द्वारा 2773 प्रस्तावित कार्यो में 1 लाख 3 हजार 432 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं। तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, कुआ निर्माण, नरवा बाध निर्माण, सहित विभिन्न कार्यो में मनरेगा के तहत श्रमिक कार्य कर रहे हैं। जिले में श्रमिको को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं तथा जिले में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 2 लाख 94 हजार हितग्रहियों को योजनान्तर्गत लाभांवित किया गया हैं जिसके द्वारा 49 लाख 48 हजार मानव दिवस सृजित किया गया हैं तथा 987 परिवारों को 100 दिवस से अधिक रोजगार प्रदान किया गया है। इस योजना में अब तक कुल राशि 120 करोड रूपये मजदूरी में एवं 33 करोड रूपये सामग्री में व्यय किया गया हैं।

मुख्य शब्द

जॉब कार्ड, परिवार, मनरेगा योजना, रोजगार कार्य.

प्रस्तावना

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में निवास करती हैं और भारत की कृषि मानसून पर आधारित हैं। आज भी भारत की अधिकांश ग्रामीण मजदूर कृषि पर ही निर्भर रहती हैं। मानसून अनिश्चित होने के कारण बाढ़ व सूखा जैसे स्थिति होने के कारण भारत में अधिकांश ग्रामीण गरीब मजदूरों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना पडता है। भारत सरकार द्वारा गरीबी जैसे निर्धनता दूर करने हेतु गांवो में अनेक रोजगार कार्यक्रम चलाये गये हैं जिससे ग्रामीण परिवार अपने

जन्मभूमि को छोडकर किसी अन्य स्थान पर पलायन न करे इसलिए केन्द्र सरकार ने ग्रामीण बेरोजगार परिवार एवं उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया औंर वर्तमान में इस अधिनियम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया तथा इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारिरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं उसको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गांरटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं।

तालिका 1: राजनांदगांव जिले की जनसंख्या विवरण

क्र.	जिला राजनांदगांव	ग्रामीण जनसंख्या 2001			ग्रामीण जनसंख्या 2011			प्रतिशत वृद्धि दर	नगरीय जनसंख्या 2001			नगरीय जनसंख्या 2011			प्रतिशत वृद्धि दर
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	%	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	%
1	राजनांदगांव	83440	82804	166244	100212	100026	200238	20.44%	72949	70821	143770	81929	81185	163114	13.45%
2	डोंगरगांव	48626	50548	99174	59722	60352	120074	21.07%	5881	5636	11517	7381	7312	14693	27.57%
3	डोंगरगढ़	68536	71159	139695	84581	86164	170745	22.22%	17460	16981	34441	18740	18632	37372	8.51%
4	छुरिया	69577	74928	144505	85360	88637	173997	20.40%	0	0	0	2291	2218	4509	0.00%
योग		270179	279439	549618	329875	335179	665054	21.00%	96290	93438	189728	110341	109347	219688	15.79%

(स्त्रोतः जनगणना 2001 एवं 2011)

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1. सुरभि सिन्हा और श्रीकान्त राय ने अपनी पुस्तक "दलित वुमेनः सोशियो इकोनॉमिक्स स्ट्रेटस एंड इश्यूज" (2012) इन्होने अपने पुस्तक में यह बताया कि मनरेगा योजना में अनुसुचित जाति के महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की आर्थिक को जानने का प्रयास किया गया हैं।
2. लावण्या वी. एल. और महिमा एस. (2013): इस अध्ययन में मनरेगा योजना से महिलाओं को सशक्त होने का प्रयास गया जिससे यह परिणाम साबित होता है कि मनरेगा ने महिला लाभार्थियों को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बना दिया यही निष्कर्ष निकाला गया था और कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों के लिए आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता की आधारशिला रखी गयी थी।

शोध उद्देश्य

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मनरेगा मजदूरो की जॉब कार्ड की स्थिति का अध्ययन करना।
2. मनरेगा योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारो का अध्ययन करना।
3. मनरेगा योजना को सशक्त बनाने में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करना।
4. विगत वर्षो में मनरेगा योजना के उपलब्धियों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

$\mathbf{H_1}$ मनरेंगा योजना से गांवो से शहरो की ओर होने वाले पलायन कम हुआ हैं।

$\mathbf{H_2}$ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं घरेलू हिंसा में कमी हुई हैं।

शोध प्रविधि

यह शोध कार्य द्वितीयक समंक पर आधारित हैं, जो कि पुस्तको, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्ट व इंटरनेट से लिया गया हैं। छत्तीसगढ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में योजना के अधिनियम के आधार पर द्वितीयक समंको का आंकलन कर उसके उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया हैं।

तालिका 2: राजनांदगांव जिले के विकासखण्डो में परिवार की स्थिति रोजगार के संबंध में

क्र.	विकासखण्ड	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					सामान्य–पिछड़ा वर्ग				
		2020	2021	2022	2023	योग	2020	2021	2022	2023	योग	2020	2021	2022	2023	योग
1	राजनांदगांव	2989	2998	3002	3005	11994	1839	1849	1856	1856	7400	31520	31606	31303	31358	125787
2	डोंगरगांव	1915	1924	1906	1906	7651	3659	3671	3659	3661	14650	18501	18676	18644	18650	74471
2	डोंगरगढ़	2125	2117	2083	2084	8409	7375	7376	7339	7345	29435	26556	26651	26462	26479	106148
3	छुरिया	2017	2065	2071	2072	8225	10256	10485	10530	10538	41809	25270	25592	25595	25601	102058
	योग	9046	9104	21264	9067	36279	23129	23381	23384	23400	93294	101847	102525	102004	102088	408464

(स्त्रोतः जिला पंचायत राजनांदगाँव)

मनरेगा विभागः राजनांदगांव जिलें में 2020 से 2023 तक जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य को जारी किये गये जॉब कार्ड का विवरण इस प्रकार हैः

तालिका 3: कुल जॉब कार्ड की स्थिति प्रतिशत में

विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
राजनांदगांव जिले में 4 विकासखण्ड है इन सभी विकासखण्डों में मनरेगा जॉब कार्ड का कुल योग 2020 से 2023 तक	36279	93294	408464	538037 100%

(स्त्रोतः जिला पंचायत राजनांदगाँव)

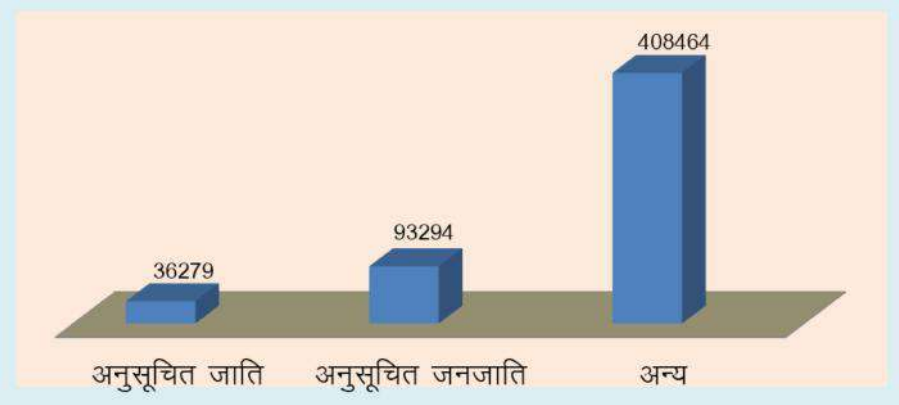

मनरेगा योजना के कार्य

1. **आवास निर्माण कार्यः** (25 जून 2015) प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य – हर ग्रामीण गरीब निम्न आय वर्ग के लोगो को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है तथा इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक सभी घरो में लगभग 20 मिलियन घरो का निर्माण कराना है जिसे वर्तमान में भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2024 तक बढा दिया गया है, औंर अब पक्के घरो का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड घर कर दिया गया हैं।
2. **जल संरक्षण कार्यः** (15 अगस्त 2023) जल संरक्षण के लिए 50 हजार तालाबों के निर्माण के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर न केवल देश में जल संरक्षण को बढावा दे रहा हैं बल्कि लाखों ग्रामीण निवासियों को भी इन तालाबों के निर्माण से आजीविका का अवसर मिल रहा हैं।
3. **भूमि सुधार कार्यः** इस योजना में कृषि भूमि कच्चा पक्का नालो के साथ निजी खेतों में ढलान जमीन पर सूखे पत्थर का डैंम का निर्माण कराना एवं खेतो में भूमि समतलीकरण के साथ–साथ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना जिससे फसल का विकास कार्य एवं पौधा रोपन का कार्य उत्पन्न हो।
4. **वक्षारोपन कार्यः** (2016–17) वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनरेगा योजना के तहत 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया हैं जिससे जनता से वृक्षारोपन के महत्व के प्रति जागरूक बढाना एवं भावनात्मक लगाव पैदा करके मानसून से पहले 50 प्रतिशत राशि दी जाती है जिससे वनो में बढावा हो।
5. **बाढ़ नियंत्रणः** बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए मनरेगा योजना के तहत विपथ मार्ग में बांध तथा जल भराव

वाले क्षेत्रों में निकास मार्ग बनवाया जाय जिससे – नालों का निर्माण, बाढ़ मरम्मत, गहरीकरण इत्यादि इस योजना के माध्यम से किया जाता हैं।

6. **बागवानी कार्यः** भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत वर्ष 2005–6 के दौरान केन्द्र सरकार के योजना के रूप में की गई हैं भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ–साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना हैं। 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की सहायता का अंश 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 15 प्रतिशत हैं।
7. **गौशाला निर्माण कार्यः** केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढावा देने के लिए अपने निजी भूमि पर निर्माण करने के लिए पशपालन को वित्तीय सहायता प्रदान कराना ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके औंर पशुपालको की आय में वृद्धि हो सके।
8. **चकबंदी कार्यः** चकबंदी कार्य का मुख्य उद्देश्य छोटे–छोटे खेतो को मिलाकर बढ़ा खेतो में बदलना ताकि फसल उत्पादन बढ़ सके, भारत की बढती हुई आबादी का पेट भरा जा सके तथा चकबंदी से यह भी लाभ प्राप्त हुआ कि किसानो की बिखरी जमीन एक स्थान पर हो जिससे किसानो की आय व समय की बचत हो।
9. **लघु सिंचाई कार्यः** लघु सिंचाई कार्य से जल की 20 से 48 प्रतिशत तक बचत होती है। इस सिंचाई से पानी को सीधे पौधो के जडो में पहुचाया जाता है जिससे अनावश्यक जमीन में पानी नही फैलता हैं और पानी वाष्पीकरण भी कम हो जाता है जिससे टिकाऊ संपत्तियों को वर्ष में 100 दिनो का रोजगार प्राप्त होता हैं।
10. **ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यः** मनरेगा योजना के माध्यम से गांवो को खेतो से जोड़ने का काम किया जाता है जिससे लोग गांवो में आसानी से अपने–अपने खेतो और आस–पास के गांवो आना जाना कर सके।

तालिका 4: राजनांदगांव जिले के विकासखण्डो में परिवार की स्थिति रोजगार के संबंध में

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष 2020			वर्ष 2021			वर्ष 2022			वर्ष 2023		
		रोजगार की मांग	रोजगार की उपलब्धता	%	रोजगार मांग	रोजगार उपलब्धता	%	रोजगार की मांग	रोजगार उपलब्धता	%	रोजगार मांग	रोजगार उपलब्धता	%
1	राजनांदगांव	34755	33033	95.45%	34219	31784	92.88%	27327	21264	77.81%	21119	7376	34.92%
2	डोंगरगांव	22393	21703	96.91%	22068	21278	96.42%	18660	16153	86.56%	12674	5196	40.00%
2	डोंगरगढ़	33773	32645	99.66%	33232	31984	96.24%	26673	21745	81.52%	19637	11131	56.68%
3	छुरिया	36125	35459	98.16%	36582	35460	96.93%	32519	27766	85.38%	23106	14656	63.42%
योग		127046	122840	96.69%	126101	120506	95.56%	105179	86928	82.64%	76536	38359	50.11%

(स्त्रोतः जिला पंचायत राजनांदगाँव)

तालिका 5: प्रतिवर्ष के आधार पर रोजगार के संबंध में परिवार की स्थिति

क्र.	वर्ष 2020		
	रोजगार की मांग	रोजगार की उपलब्धता	उपलब्धता का प्रतिशत
2020	127046	122840	96.68%
2021	126101	120506	95.56%
2022	105179	86928	82.64%
2023	76536	38359	50.11%
योग	434862	933352	39.30%

(स्त्रोतः जिला पंचायत राजनांदगाँव)

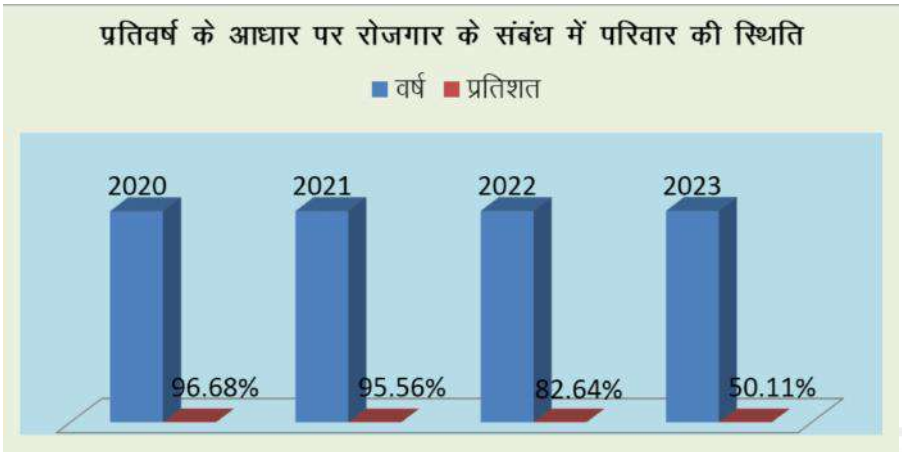

मनरेगा योजना की चुनौतियाँ

1. **अपर्याप्त बजट आवंटनः** पिछले कुछ वर्षो में मनरेगा के तहत अपर्याप्त आवंटित बजट काफी कम रहा हैं जिसका प्रभाव मनरेगा योजना के कार्यरत कर्मचारियों के आय व्यय पर देखने को मिलता है, तथा वेतन में कमी होने के प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पडता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते है।
2. **खराब मजदूरी दरः** पिछले 20 वर्षो में मनरेगा योजना की स्थिति यह रही है कि इन परिवारो को 300 दिन में से केवल 75 या 100 दिन का ही रोजगार प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था में उन्हे 200 दिन का रोजगार की जरूरत रही है लेकिन मनरेगा योजना में केवल 100 दिन का रोजगार देने के प्रावधान के कारण पूरा विश्वास स्थापित नही कर पाया हैं।
3. **मजदूरी के भुगतान में देरीः** भारत में न्यूनतम मजदूरी दर से वर्ष 2019 – 20 तक लगभग 18 से 20 प्रतिशत कम कर रही हैं एवं मजदूरी को 6 से 12 महीनो तक की देरी में मजदूरो को भुगतान किया जाता है तथा मशीनो से भी काम कराने का कारण हैं।
4. **भ्रष्टाचारः** वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला हुआ था जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाये गये थे जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को 600 करोड रूपये का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंन्धित एक बडी चुनौती हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त निष्कर्ष से यह पाया गया है कि मनरेगा योजना से ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं औंर भूमिहीन मजदूरो के लिए मनरेगा योजना एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया गया है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम महिलाओं के लिए सबसे बडी लोकप्रिय योजनाओं में से एक है तथा राजनांदगांव जिले में ग्रामीण गरीब बेरोजगार महिलाओं में सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण परिवारो की स्थिति में अच्छे से विकास की प्रगति पर आ गया है।

छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले में रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को सामान्य अवसर प्राप्त हुआ है तथा इस योजना से यह कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना महिलाओं के जीवन जीने औंर परिवार की आत्मा और उसी आत्मा जीवन शैली भी है जिससे ग्रामीण परिवार को जीवन जीना सीखा दिया। मनरेगा योजना गांवो की विकास की आत्मा व कवच के रूप में वरदान साबित हुआ हैं।

संदर्भ सूची

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2011)।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005)।
3. सिन्हा, वी. सी. (2005). *भारतीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय,* एस. बी. डी. पी. पब्लिसिंग हाउस, मथुरा।
4. पंत, डी. सी. (1998). *भारत में ग्रामीण विकास,* कैलास पुस्तक सदन, भोपाल।
5. मिश्र, आनंद प्रकाश. (1998). *ग्रामीण निर्धनता,* साहित्य भवन, आगरा।
6. क्लोरेंस, लुईस. (2003). *असमानता और गरीब,* साहित्य भवन, आगरा।
7. छत्तीसगढ जनसंख्या रिपोर्ट (2011)।
8. फाडिया, बी. एल. (2004) *शोध पद्धतिया,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
9. सिन्हा सुरभि, और राय श्रीकान्त, (2012). *दलित वुमेन सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस एण्ड इश्यूज,* अल्फा पब्लिकेशन।
10. Lavanya. V.L.And Mahima. S. (2013) :Empowerment of rural women through MGNREGA with Special references to Palakkad. *International Journal of Multidisciplinary Research,* 3 (7). 2013,

****